संख्या–1976/नौ–7–2022–41(ज)/2021

प्रेषक,

डॉ. राजेन्द्र पैंसिया,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2022**

विषयः शीत ऋतु के दृष्टिगत नगरीय निकायों में निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1752/नौ–7–2021–41(ज)/2021, दिनांक 15.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगरीय निकायों द्वारा संचालित अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थलों/कान्हा गौशाला में गोवंश के भरण–पोषण एवं संरक्षण के विषयगत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शीत ऋतु के दृष्टिगत नगरीय निकायों में निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण के विषयगत निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) सभी निराश्रित/बेसहारा गोवंश का चिन्हीकरण पशुधन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित किया जाये।
(2) गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण–पोषण हेतु समुचित हरे चारे, भूसे, दाने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
(3) शीत ऋतु के दृष्टिगत गोवंश को रात के समय शेड के अन्दर रखे जायें तथा शेड के चारों ओर समुचित ढंग से पर्दे/झूल/अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
(4) गो–आश्रय स्थलों पर गोवंश के पीने हेतु चूना युक्त ताजे पानी की उपलब्धता शेड के अन्दर और बाहर सुनिश्चित की जाये।
(5) गो–आश्रय स्थलों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(6) गो–आश्रय स्थल पर गोवंश की देख–रेख एवं सुरक्षा हेतु गो रक्षक/श्रमिक की व्यवस्था की जाय। उक्त हेतु व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथा संभव अपने स्वयं के संसाधनों से की जायेगी।

(7) गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान,बधियाकरण,टीकाकरण के साथ–साथ मृत गोवंश का शव परीक्षण इत्यादि का कार्य,पशु पालन विभाग के सक्षम पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराया जाये। यदि कोई रोगी या संक्रामक रोग से ग्रसित गोवंश है तो उन्हें अलग रखा जाये।

(8) गोवंश की मृत्यु की दशा में शव परिवहन व निस्तारण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में विहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाये।

(9) गोवंश आश्रय स्थलों पर पंचवटी, वृक्षारोपण इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा बायो फेंसिंग कराई जाये।

(10) गोपालकों द्वारा स्वामित्व के गोवंश को निराश्रित/बेसहारा छोड़ने पर रोक लगाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959/ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

26.12.22

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।